

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

**निविदा आमंत्रण सूचना**

सिविल न्यायालय परिसर, डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) के लिए वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु प्रायवेट एजेंसीज/फर्म/उम्मीदवार से प्रस्ताव आमंत्रित हैं। वाहन स्टेण्ड संचालक इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से 13.10.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के नजारत अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क 250/- (दो सौ पचास रुपये) का डीडी/नगद जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 14.10.2023 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) एवं [www.tenders.gov.in](http://www.tenders.gov.in) तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की वेबसाइट <https://gwalior.dcourts.gov.in> पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय  
ग्वालियर

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)**

**वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा फॉर्म**

निविदाकर्ता का नाम : .....

पता : .....

मोबाईल नं. : .....

आधार कार्ड नं. : .....

पेन कार्ड नं. : .....

उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो: .....

संस्था का रजिस्ट्रेशन यदि हो तो: .....

वाहन स्टेण्ड हेतु निविदाकर्ता द्वारा: .....

अपनी ओर से लगाई गई वार्षिक  
वोली राशि (उक्त बोली की राशि  
न्यूनतम 55001 /- से कम नहीं होनी चाहिये)

**आवश्यक शर्तें**

2- साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :-

1. साईकिल	-	5 रूपये
2. स्कूटर/दो पहिया वाहन	-	10 रूपये
3. तीन/चार पहिया वाहन	-	20 रूपये

3- जिला न्यायालय ग्वालियर/सिविल न्यायालय डबरा/भितरवार के न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय अभिभाषक, अभिभाषक से कोई वाहन शुल्क वसूलनीय नहीं होगा, उनके लिए पास जारी करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की रहेगी।

4- अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) रूपये 5000/- (पाँच हजार) की एफडीआर/डीडी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के नाम से निविदा के साथ जमा करना होगी। जिस निविदाकर्ता की निविदा निरस्त होगी, उसकी ईएमडी राशि लौटा दी जायेगी।

- 5- वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध गृहिता की होगी।
- 6- अधिकतम अधिमान्य निविदादाता के द्वारा वार्षिक अनुबंध की राशि अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात कर द्वितीय अधिकतम दर से संबंधित निविदादाता को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- 7- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
- 8- प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के आदेश से निरस्त की जा सकती है।
- 9- वार्षिक अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- 10- वाहन स्टेण्ड का ठेका अनुबंध स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष के लिये किया जावेगा।
- 11- वाहन स्टेण्ड की न्यूनतम वार्षिक शुल्क राशि 55001/- रुपये निर्धारित किया गया है। उससे कम की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 12- जिस निविदाकर्ता द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क सम्पूर्ण निविदाकर्ताओं से अधिक दर्शाया जायेगा एवं समस्त शर्तें स्वीकार होंगी उसकी निविदा पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदा की सम्पूर्ण राशि डीडी/चेक के माध्यम से एकमुश्त जमा की जावेगी।
- 13- वाहन स्टेण्ड परिसर में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति का रित होती हो।
- 14- ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।
- 15- किसी भी प्रकार की वाहन स्टेण्ड पर असमाजिक गतिविधियों में निविदाकर्ता के संलिप्त पाये जाने पर ठेका तत्काल निरस्त किया जावेगा एवं जमा अमानत/अनुज्ञा राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 16- निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड पर साफ-सफाई रखी जावेगी एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो तो सीसीटी कैमरे स्वयं के व्यय पर लगाये जायें।
- 17- ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना

आवश्यक होगा।

18- निविदाकर्ता को उक्त ठेका अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष के लिये मान्य होगा एवं अनुबंध आपसी समझौते पर एवं निविदाकर्ता के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन संशोधित दरों पर आगामी 01 और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

19- निविदाकर्ता म0प्र0 का मूलनिवासी होना आवश्यक है।

20- निविदा फार्म जिला न्यायालय ग्वालियर से कार्यालयीन समय पर दिनांक 13.10.2023 तक 250/- (दो सौ पचास) रुपये डीडी/नगद जमा कर उसकी रसीद के साथ जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं उपस्थित अथवा डाक के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 14.10.2023 को निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में दोपहर 2.00 बजे जिला न्यायालय ग्वालियर में गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जावेंगी। निविदा फार्म जिला न्यायालय ग्वालियर से अथवा रजिस्ट्री जबलपुर की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) एवं [www.tenders.gov.in](http://www.tenders.gov.in) तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की वेबसाइट <https://gwalior.dcourts.gov.in> पर पर से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

21- निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर से उनके दूरभाष नं. 9826586446 पर संपर्क किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर